(6)

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, कोटा, जिला कोटा (राज0)
पीठासीन अधिकारी : वीरेन्द्र सिंह यादव आर.ए.एस.

प्रकरण संख्याः 29/2022 / (गुण्डा एक्ट)
जी.सी.एम.एस नं.– 2022/131

उनवान

राज्य सरकार जर्ये थानाधिकारी पुलिस स्टेशन **देवलीमांझी** जिला कोटा ग्रामीण (राज0)

बनाम

गजानन्द पुत्र कालूलाल जाति पटवा (जंगम) उम्र 60 साल निवासी बालूहेडा थाना देवलीमांझी जिला कोटा।

कार्यवाही अन्तर्गत धारा 3 (1)राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम

निर्णय दिनांक : 12/2/26

थानाधिकारी पुलिस स्टेशन **देवलीमांझी** जिला कोटा ग्रामीण की ओर से जर्ये पुलिस अधीक्षक, जिला कोटा (ग्रामीण) यह इस्तगासा अन्तर्गत धारा 3 (1) राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 में कार्यवाही हेतु इस आशय के साथ पेश किया गया कि गैरसायल **गजानन्द पुत्र कालूलाल जाति पटवा (जंगम) उम्र 60 साल निवासी बालूहेडा थाना देवलीमांझी जिला कोटा** थाना क्षैत्र में अपराधिक गतिविधियों में लिप्त है, तथा जुआ अध्यादेश अधिनियम के अन्तर्गत अपराध करने का आदी है, तथा उक्त अपराध को करने में थाना क्षैत्र में आतंक बनाकर रखता है। गैरसायल की उक्त गतिविधियों से आम जन आतंकित होकर भयग्रस्त रहते है। जिससे उसके क्षैत्र में निवास करने वाले साक्षी लोग उसके विरूद्ध साक्ष्य देने के लिऐ आगे आने के इच्छुक नहीं रहते है। साक्ष्य देने की स्थिति में अपने आपको असुरक्षित महसूस करते है। गैरसायल के विरूद्ध आपराधिक रिकार्ड निम्न है।

क्र.स.	प्रकरण संख्या	धारा	चार्जशीट न0 व दिनांक	न्यायालय निर्णय
1.	07 5-01-2022	13 आरपीजीओ	04/10-01-2022	100रू0 जुर्माना
2.	35/14-02-2022	341,323,504,34 आई.पी.सी.	32/25-02-2022	100रू0 जुर्माना
3.	94/11-5-2022	13 आरपीजीओ	83/15-5-2022	100 रू0 जुर्माना

अतः **गजानन्द पुत्र कालूलाल जाति पटवा (जंगम) उम्र 60 साल निवासी बालूहेडा थाना देवलीमांझी जिला कोटा** के विरूद्ध इस्तगासा अन्तर्गत धारा 3(1) राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 के तहत आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है।

राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 के तहत कार्यवाही हेतु प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर तलबी गैरसायल की गई। गैरसायल को सारवान आरोपों को अभिलिखित करते हुऐ नोटिस दिया गया। गैरसायल स्वंय उपस्थित हुआ। गैरसायल की ओर से वकील श्री एम.एस. केसरी की ओर से वकालतना पेश किया किन्तु प्रस्तुत इस्तागसा के संबध मे गैरसायल की ओर से कोई कोई जवाब प्रस्तुत

अति॰ जिला कलक्टर
कोटा

नही किया गया। गैरसायल के स्वंय उपस्थित होने एवं कोई जवाब प्रस्तुत नही करने से न्यायालय का यह मत है कि गैरसायल उक्त कार्यवाही बाबत् कोई सुनवाई नही चाहता है। पत्रावली में गैरसायल के अपराधिक रेकार्ड व चाल चलन के संबध में पुलिस अधीक्षक,जिला कोटा ग्रामीण से भी रिपोर्ट प्राप्त की गई। मुताबिक रिपोर्ट पुलिस अधीक्षक,जिला कोटा ग्रामीण, गैरसायल के विरूद्व प्रस्तुत इस्तागासे में दर्ज परिवाद के अलावा धारा 13 आरपीजीओ के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है। गैरसायल के विरूद्व वर्तमान में जुआ खेलने की शिकायत गांव के लोगो द्वारा प्राप्त होती रहती है। वर्तमान में गैरसायल एक बदमाश प्रवृति का व्यक्ति है जो थाना क्षैत्र में आंतक बनाकर रखता है। गैरसायल की उक्त गतिविधियों से आमजन आतंकित होकर भयग्रस्त रहते है। गैरसायल का चाल चलन समाज के अनुसार ठीक नही है।

पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन किया गया। थानाधिकारी **देवलीमांझी** द्वारा प्रस्तुत कार्यवाही में गैरसायल के विरूद्व 13 आर.पी.जी.ओ. की धारा मे 02 व 01 आई.पी.सी. के तहत दर्ज हुए है। पुलिस अधीक्षक,कोटा ग्रामीण से प्रस्तुत रिपोर्ट मे भी गैरसायल का अपराधिक रेकार्ड व चाल चलन समाज के अनुसार ठीक नही होना अंकित किया है।

अतः इस्तगासा में वर्णित अभियोग में गैरसायल को न्यायालय द्वारा दोष सिद्ध एंव दण्डित करने की स्थिति विद्यमान है। जिसके लिऐ पेरोकार सरकार द्वारा गैरसायल की गतिविधियां आमजन के लिऐ घातक होना कथन करते हुऐ गैरसायल को जिला बदर किये जाने की प्रार्थना की गई। गैरसायल को इस इस्तगासा प्रकरण में वर्णित 13 आरपीजीओ की धाराओ में दर्ज प्रकरणों में न्यायालय द्वारा दोष सिद्ध एंव दण्डित करने की प्रमाणिक स्थिति विद्यमान होने के कारण गेरसायल राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 3 (1) के अन्तर्गत गुण्डा परिभाषित है। जिसके फलस्वरूप राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 3 की उपधारा 1 (ए) (बी) तथा (सी) के अन्तर्गत वर्णित स्थिति विद्यमान होना पाते हुऐ गैरसायल को जिला बदर किया जाना उचित समझते है।

अतः उपरोक्त विवेचन अनुसार **गजानन्द पुत्र कालूलाल जाति पटवा (जंगम) उम्र 60 साल निवासी बालूहेडा थाना देवलीमांझी जिला कोटा** राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 3 (3) के अन्तर्गत **30** दिन के लिऐ **थाना देवलीमांझी** कोटा की सीमा से **जिला बारां** के लिऐ निष्कासित किये जाने के आदेश दिये जाते है। गैरसायल इस समयावधि में जिला कोटा की सीमा में प्रवेश नहीं करेगा, नेकचलन रहेगा तथा निष्कासन अवधि के दौरान आने वाले सोमवार को अपनी उपस्थिति तथा गतिविधियो की जानकारी **थानाधिकारी, अन्ता ,जिला बारां** को प्रस्तुत करेगा । **थानाधिकारी, अन्ता ,जिला बारां** गैरसायल की गतिविधियों पर निगरानी रखेगें। गैरसायल की उक्त **30** दिवस की निष्कासन अवधि **20** दिन पश्चात अर्थात **दिनांक 14/02/2026** से प्रारम्भ होगी। थानाधिकारी थाना **देवलीमांझी** जिला कोटा ग्रामीण उक्त गैरसायल **गजानन्द पुत्र कालूलाल जाति पटवा (जंगम) उम्र 60 साल निवासी बालूहेडा थाना देवलीमांझी जिला कोटा** को दिनांक 14/02/2026 को पुलिस अभिरक्षा में थाना **देवलीमांझी** जिला–कोटा (ग्रामीण) की सीमा से थाना, **थानाधिकारी, अन्ता ,जिला बारां** की सीमा में पहुंचाने की व्यवस्था करेगें। थानाधिकारी, **थानाधिकारी, अन्ता ,जिला बारां** थानाधिकारी **देवलीमांझी** जिला कोटा (ग्रामीण) गैरसायल के वापस थाना क्षैत्र **देवलीमांझी** जिला कोटा (ग्रामीण) में लोटने की सूचना इस न्यायालय को प्रेषित करेगें।

निर्णय आज दिनांक 12/2/26 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय मुद्रा अंकित कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

मुद्रा

(वीरेन्द्र सिंह यादव)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
कोटा, जिला कलेक्टर कोटा